



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 22 नवम्बर, 2002 ई0

अग्रहायण 01, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 1473 A/कार्मिक-2/2002

देहरादून, 22 नवम्बर, 2002

अधिसूचना/प्रकीर्ण

प0 आ0-208

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 309 के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, उत्तरांचल के श्री राज्यपाल, राज्य के कार्यों से सम्बद्ध सेवा में लगे सरकारी कर्मचारियों के प्रकरण को विनियमन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तरांचल राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002

1- संक्षिप्त नाम— यह नियमावली उत्तरांचल राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 कहलायेगी।

2- परिभाषाएं— जब तक प्रसंग से अन्य कोई अर्थ अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,

(क) “सरकार” से तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से है।

(ख) “सरकारी कर्मचारी” से तात्पर्य ऐसे लोक सेवक से है, जो उत्तरांचल राज्य के कार्यों से सम्बद्ध किसी लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त हो।

स्पष्टीकरण—किसी बात के होते हुए भी कि ऐसे सरकारी कर्मचारी का वेतन उत्तरांचल की संचित निधि से अन्य साधनों से आहरित किया जाता है, ऐसे सरकारी कर्मचारी भी, जिसकी सेवायें, उत्तरांचल सरकार ने किसी कम्पनी, निगम, संगठन, स्थानीय प्राधिकारी, केन्द्रीय सरकार किसी अन्य राज्य सरकार को अर्पित कर दी हों, इन नियमों के प्रयोजनों के लिये, सरकारी कर्मचारी समझा जायेगा।

(ग) किसी सरकारी कर्मचारी के संबंध में, "परिवार का सदस्य" के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे:—

(1) ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी, उसका लड़का, सौतेला लड़का, अविवाहित लड़की या अविवाहित सौतेली लड़की चाहे वह उसके साथ रहता/रहती हो अथवा नहीं, और किसी महिला सरकारी कर्मचारी के संबंध में, उसके साथ रहने वाला तथा उस पर आश्रित उसका पति, तथा

(2) कोई भी अन्य व्यक्ति, जो रक्त संबंध से या विवाह द्वारा उक्त सरकारी कर्मचारी या संबंधी हो या ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी का या उसके पति का सम्बन्धी हो और जो ऐसे कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हो,

किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी पत्नी या पति सम्मिलित नहीं होगी/सम्मिलित नहीं होगा, जो सरकारी कर्मचारी से विधितः पृथक् की गई हो/पृथक् किया गया हो या ऐसा लड़का, सौतेला लड़का अविवाहित लड़की या अविवाहित सौतेली लड़की सम्मिलित नहीं होगा, या/सम्मिलित नहीं होगी जो आगे के लिये, किसी भी प्रकार उस पर आश्रित नहीं है या जिसकी अभिरक्षा (custody) से सरकारी कर्मचारी को, विधि द्वारा वंचित कर दिया गया हो।

3—सामान्य—

(1) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को राज्य कर्मचारी रहते हुए आत्यंतिक रूप से सत्यनिष्ठता तथा कर्तव्यपरायणता से अपने कार्यों का निर्वहन करना होगा।

(2) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को राज्य कर्मचारी रहते हुए उसके व्यवहार तथा आचरण को विनियमित करने वाले तत्समय प्रवृत्त विशिष्ट (Specific) या विवक्षित (implied) शासकीय आदेशों के अनुसार आचरण करना होगा।

(3) कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न का प्रतिषेध—

1— कोई सरकारी कर्मचारी किसी महिला के कार्यस्थल पर, उसके यौन उत्पीड़न के किसी कार्य में संलिप्त नहीं होगा।

2—प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो किसी कार्य स्थल का प्रभारी हो, उस कार्यस्थल पर किसी महिला के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगा।

स्पष्टीकरण—

इस नियम के प्रयोजनों के लिए "यौन उत्पीड़न" में, प्रत्यक्षतः या अन्यथा कामवासना से प्रेरित कोई ऐसा अशोभनीय व्यवहार सम्मिलित है जैसे कि—

(क) शारीरिक स्पर्श और कामोदीप्त प्रणय संबंधी चेष्टायें,

(ख) यौन स्वीकृति की मांग या प्रार्थना,

(ग) कामवासना-प्रेरित फक्तियां,

(घ) किसी कामोत्तेजक कार्य/व्यवहार या सामग्री का प्रदर्शन, या

(ङ.) यौन संबंधी कोई अन्य अशोभनीय शारीरिक, मौखिक या सांकेतिक आचरण।"

(4) कोई सरकारी कर्मचारी घरेलू कार्य में सहायता के रूप में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोवायोजित नहीं करेगा।

4—सभी लोगों के साथ समान व्यवहार—

(1) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को सभी जाति, पंथ (sect) या धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार करना होगा।

(2) कोई सरकारी कर्मचारी किसी रूप में अस्पृश्यता का आचरण नहीं करेगा।

4-क— मादक पान, तथा औषधि का सेवन— कोई सरकारी कर्मचारी,

(क) किसी क्षेत्र में, जहाँ यह तत्समय विद्यमान हो, मादकपान अथवा मादक औषधि संबंधी प्रवृत्त किसी विधि का दृढ़ता से पालन करेगा,

(ख) अपने कर्तव्यपालन के दौरान किसी मादक पान या औषधि के प्रभावाधीन नहीं होगा और इस बात का सम्यक् ध्यान रखेगा कि किसी भी समय उसके कर्तव्यों का पालन किसी भी ऐसे पेय या भेषज के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है;

(ग) सार्वजनिक स्थान में किसी मादकपान अथवा औषधि के सेवन में अपने को विरत रखेगा;

(घ) मादक पान करके किसी सार्वजनिक स्थान में उपस्थित नहीं होगा;

(ङ.) किसी मादकपान या औषधि का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण—एक— इस नियम के प्रयोजनार्थ "सार्वजनिक स्थान" का तात्पर्य किसी ऐसे स्थान या परिसर (जिसमें कोई सवारी वाहन भी सम्मिलित है) से है, जहाँ भुगतान अथवा अन्य प्रकार से जनता को आने-जाने की अनुज्ञा हो।

स्पष्टीकरण—दो— कोई क्लब जहाँ;

(क) सरकारी कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों को सदस्य के रूप में प्रवेश की अनुमति देता है; अथवा

(ख) जिसके सदस्यों को उरामें अतिथि के रूप में गैर-सदस्यों को आमंत्रित करने की अनुज्ञा हो, भले ही सदस्यता सरकारी कर्मचारियों के लिए ही सीमित हो।

स्पष्टीकरण एक के प्रयोजनार्थ ऐसा स्थान समझा जायेगा जहाँ पर जनता आ-जा सकती हो या उसे आने-जाने की अनुज्ञा हो।

5—राजनीति तथा चुनावों में हिस्सा लेना—

(1) कोई सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल का या किसी ऐसी संस्था का, जो राजनीति में हिस्सा लेती है, सदस्य न होगा और न अन्यथा उससे संबंध रखेगा और न वह किसी ऐसे आन्दोलन में या संस्था में हिस्सा लेगा, उसकी सहायतार्थ चन्दा देगा या किसी अन्य रीति से उसकी मदद करेगा, जो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति ध्वंसक है या उसके प्रति ध्वंसक कार्यवाहियों करने की प्रवृत्ति पैदा करती है।

उदाहरण

राज्य में 'क', 'ख', 'ग' राजनीतिक दल हैं।

'क' वह दल है जो सत्ता में है और जिसने तत्समय सरकार बनाई है।

'अ' एक सरकारी कर्मचारी है।

यह उप-नियम 'अ' पर सभी दलों के संबंध में, जिसमें 'क' दल भी, जो कि सत्ता में है, सहित प्रतिषेध करेगा।

(2) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को, किसी ऐसे आन्दोलन या क्रिया (activity) में, जो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति ध्वंसक है या उसके प्रति ध्वंसक कार्यवाहियों करने की प्रवृत्ति पैदा करती है, हिस्सा लेने, सहायतार्थ चन्दा देने या किसी अन्य रीति से उसकी मदद करने से रोकने का प्रयत्न करे, और, उस दशा में जबकि कोई सरकारी कर्मचारी अपने परिवार के किसी सदस्य को किसी ऐसे आन्दोलन या क्रिया में भाग लेने, सहायतार्थ चन्दा देने या किसी अन्य रीति से मदद करने से रोकने में असफल रहे, तो वह इस आशय की एक रिपोर्ट सरकार के पास भेज देगा।

उदाहरण

'क' एक सरकारी कर्मचारी है।

'ख' एक "परिवार का सदस्य" है, जैसी कि उसकी परिभाषा नियम 2 (ग) में दी गयी है।

'आ' वह आन्दोलन या क्रिया है, जो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति ध्वंसक है या उसके प्रति ध्वंसक कार्यवाहियों करने की प्रवृत्ति पैदा करती है।

'क' को विदित हो जाता है कि इस उप-नियम के उपबन्धों के अन्तर्गत, 'आ' के साथ 'ख' का सम्पर्क आपत्तिजनक है। 'क' को चाहिए कि वह 'ख' के ऐसे आपत्तिजनक सम्पर्क को रोकें। यदि 'क', 'ख' के ऐसे सम्पर्क को रोकने में असफल रहे, तो उसे इस मामले की एक रिपोर्ट सरकार के पास भेज देनी चाहिए।

(3) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई आन्दोलन या क्रिया इस नियम की परिधि में आती है अथवा नहीं, तो इस प्रश्न पर सरकार द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

(4) कोई सरकारी कर्मचारी, किसी विधान मण्डल या स्थानीय प्राधिकारी (local Authority) के चुनाव में, न तो मतार्थन (canvassing) करेगा न अन्यथा उरामें हस्तक्षेप करेगा, और न उसके संबंध में अपने प्रभाव का प्रयोग करेगा और न उसमें भाग लेगा;

परन्तु;

(1) कोई सरकारी कर्मचारी, जो ऐसे चुनाव में वोट डालने का अधिकारी है, वोट डालने के अपने अधिकार को प्रयोग में ला सकता है, किन्तु उस दशा में जब कि वह वोट डालने के अपने अधिकार का प्रयोग करता है, वह इस बात का कोई संकेत न देगा कि उसने किस ढंग से अपना वोट डालने का विचार किया है अथवा किस ढंग से उसने अपना वोट डाला है।

(2) केवल इस कारण से कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अन्तर्गत उस पर आरोपित किसी कर्तव्य के यथोचित पालन में, कोई सरकारी कर्मचारी किसी चुनाव के संचालन में मदद करता है, उसके संबंध में यह नहीं समझा जायेगा कि उसने इस उप-नियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

स्पष्टीकरण— किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने शरीर, अपनी सवारी गाड़ी या निवास—स्थान पर, किसी चुनाव चिन्ह (electoral symbol) के प्रदर्शन के संबंध में यह समझा जायेगा कि उसने इस उप-नियम के अर्थ के अन्तर्गत, किसी चुनाव के संबंध में अपने प्रभाव का प्रयोग किया है।

उदाहरण

किसी चुनाव के संबंध में, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी या मतदान क्लर्क, की हैसियत से कार्य करना उप-नियम (4) के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं होगा।

5-क— प्रदर्शन तथा हड़तालें—

कोई सरकारी कर्मचारी—

(1) कोई प्रदर्शन नहीं करेगा या किसी ऐसे प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा, जो भारत की प्रभुता तथा अखंडता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों, सार्वजनिक सुव्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता के प्रतिकूल हो अथवा जिससे न्यायालय का अवमान या मानहानि होती हो अथवा अपराध करने के लिए उत्तेजना मिलती हो, अथवा

(2) स्वयं या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की सेवा से सम्बन्धित किसी मामले के संबंध में न तो कोई हड़ताल करेगा और न किसी प्रकार की हड़ताल करने के लिए प्रेरित करेगा।

5-ख— सरकारी कर्मचारियों का संघों (Association) का सदस्य बनना— कोई सरकारी कर्मचारी किसी ऐसे संघ का न तो सदस्य बनेगा और न उसका सदस्य बना रहेगा, जिसके उद्देश्य अथवा कार्य—कलाप भारत की प्रभुता तथा अखंडता के हितों या सार्वजनिक सुव्यवस्था अथवा नैतिकता के प्रतिकूल हों।

6— समाचार पत्रों (Press) या रेडियों से सम्बन्ध रखना—(1) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी समाचार-पत्र या अन्य नियतकालिक प्रकाशन (periodical publication) का, पूर्णतः या अंशतः, स्वामी नहीं बनेगा, न उसका संचालन करेगा न उसका सम्पादन-का या प्रवन्ध में भाग लेगा।

(2) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उरा दशा के जबकि उसने राज्य सरकार की या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो अथवा जब वह अपने कर्तव्यों का सदभाव से निर्वहन कर रहा हो, किसी रेडियो प्रसारण में भाग नहीं लेगा या किसी समाचार-पत्र या पत्रिका को लेख नहीं भेजेगा और छद्मनाम से, अपने नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में, किसी समाचार-पत्र या पत्रिका को कोई पत्र नहीं लिखेगा:

परन्तु उरा दशा में जबकि ऐसी प्रसारण या ऐसे लेख का स्वरूप केवल साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक हो, किसी ऐसे स्वीकृत पत्र (Broadcast) के प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

7—सरकार की आलोचना— कोई सरकारी कर्मचारी किसी रेडियो प्रसारण में या छद्मनाम से, या स्वयं अपने नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में प्रकाशित किसी लेख में या समाचार-पत्रों को भेजे गये किसी पत्र में, या किसी सार्वजनिक कथन (public utterance) में, कोई ऐसी तथ्य की बात (statement of fact) या मत व्यक्त नहीं करेगा:—

(1) जिसका प्रभाव यह हो कि वरिष्ठ पदाधिकारियों के किसी निर्णय की प्रतिकूल आलोचना हो या उत्तरांचल सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की किसी चालू या हाल की नीति या कार्य की प्रतिकूल आलोचना हो; अथवा

(2) जिससे उत्तरांचल सरकार और केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य की सरकार के आपसी सम्बन्धों में उत्तान पैदा हो सकती हो; अथवा

(3) जिससे केन्द्रीय सरकार और किसी विदेशी राज्य की सरकार के आपसी सम्बन्धों में उत्तान पैदा हो सकती हो;

परन्तु इस नियम में व्यक्त कोई भी बात किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा व्यक्त किए गए किसी ऐसे कथन या विचारों के सम्बन्ध में लागू न होगी, जिन्हें उसने अपने सरकारी पद की हैसियत से या उसे सौंपे गये कर्तव्यों के यथोचित पालन में व्यक्त किया हो।

उदाहरण

(1) 'क' को, जो एक सरकारी कर्मचारी है, सरकार द्वारा नौकरी से बर्खास्त किया गया है। 'ख' को, जो कि एक दूसरा सरकारी कर्मचारी है, इस बात की अनुमति नहीं है कि वह सार्वजनिक रूप से (publicly) यह कहे कि दिया गया दण्ड अवैध, अत्यधिक या अन्यायपूर्ण है।

(2) कोई लोक अधिकारी स्टेशन 'क' से स्टेशन 'ख' को स्थानान्तरित किया गया है। कोई भी सरकारी कर्मचारी, उक्त लोक अधिकारी को स्टेशन 'क' पर ही बनाए रखने से संबंधित किसी आन्दोलन में भाग नहीं ले सकता।

(3) किसी सरकारी कर्मचारी को इस बात की अनुमति नहीं है कि वह सार्वजनिक रूप से ऐसे मामलों में सरकार की नीति की आलोचना करे, जैसे किसी वर्ष के लिए निर्धारित गन्ने का भाव, परिवहन का राष्ट्रीयकरण, इत्यादि।

(4) कोई सरकारी कर्मचारी निर्दिष्ट आयात की गई वस्तुओं पर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए गए कर की दर के संबंध में कोई मत व्यक्त नहीं कर सकता।

(5) एक पड़ोसी राज्य उत्तरांचल की सीमा पर स्थित किसी भू-खण्ड के संबंध में दावा करता है कि वह भूखण्ड उसका है। कोई सरकारी कर्मचारी उक्त दावे के संबंध में, सार्वजनिक रूप से, कोई मत व्यक्त नहीं कर सकता।

(6) किसी सरकारी कर्मचारी को इस बात की अनुमति नहीं है कि वह किसी विदेशी राज्य के इस निश्चय पर कोई मत प्रकाशित करे कि उसने उन रियायतों को समाप्त कर दिया है जिन्हें वह एक दूसरे राज्य के राष्ट्रियों (nationals) को देता था।

8—किसी समिति या किसी अन्य प्राधिकारी के सामने साक्ष्य—

(1) उप नियम (3) के उपबन्धित रीति के अतिरिक्त, कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी व्यक्ति, समिति या प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी जाँच के संबंध में साक्ष्य नहीं देगा।

(2) उस दशा में, जबकि उप-नियम (1) के अन्तर्गत कोई स्वीकृति प्रदान की गई हो, कोई सरकारी कर्मचारी, इस प्रकार से साक्ष्य देते समय, उत्तरांचल सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की नीति की आलोचना नहीं करेगा।

(3) इस नियम में दी हुई कोई बात, निम्नलिखित के संबंध में लागू न होगी:—

(क) साक्ष्य, जो राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, उत्तरांचल की विधान-सभा या संसद द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी के सामने दी गई हो, अथवा

(ख) साक्ष्य, जो किसी न्यायिक (Judicial) जाँच में दी गयी हो।

9—सूचना का अनधिकृत संचार— कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय सरकार के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेशानुसार या उसको सौंपे गए कर्तव्यों का सदभाव के साथ (in good faith) पालन करते हुए, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई सरकारी लेख्य या सूचना किसी सरकारी कर्मचारी को या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसे ऐसा लेख्य या सूचना देने या संचार करने का उसी अधिकार न हो, न देगा और न संचार करेगा।

स्पष्टीकरण—किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को दिए गये अभ्यावेदन में किसी पत्रावली की टिप्पणियों का या टिप्पणियों में से उद्धरण देना इस नियम के अर्थ के अन्तर्गत सूचना का अनधिकृत संचार माना जायेगा।

- 10--चन्दे-- कोई सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना किसी ऐसे धर्मार्थ प्रयोजन के लिए चन्दा या कोई अन्य वित्तीय सहायता माँग सकता है या स्वीकार कर सकता है या उसके इकट्ठा करने में भाग नहीं ले सकता है, जिसको सम्बन्ध डाक्टरी सहायता, शिक्षा या सार्वजनिक उपयोगिता के अन्य उद्देश्यों से हो, किन्तु उसे इस बात की अनुमति नहीं है कि वह इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए चन्दा, आदि माँगे।

उदाहरण

कोई भी सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना जनता के उपयोग के लिए किसी नल-कूप (ट्यूब वेल) के बेधन के लिए या किसी सार्वजनिक घाट के निर्माण या मरम्मत के लिए, चन्दा जमा नहीं कर सकता।

- 11--गेंट--कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो--

(क) स्वयं अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, किसी ऐसे व्यक्ति से, जो उसका निकट-सम्बन्धी न हो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई भेंट, अनुग्रह-धन पुरस्कार स्वीकार नहीं करेगा, या

(ख) अपने परिवार के किसी ऐसे सदस्य को, जो उस पर आश्रित हो, किसी ऐसे व्यक्ति से, जो उसका निकट-सम्बन्धी न हो, कोई भेंट, अनुग्रह, धन या पुरस्कार स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा:-

परन्तु वह किसी जातीय मित्र (personal friend) से सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन का दशांश या उससे कम मूल्य का एक विवाहोपहार या किसी रीतिक अवसर पर इतने ही मूल्य का एक उपहार स्वीकार कर सकता है या अपने परिवार के किसी सदस्य को उसे स्वीकार करने की अनुमति दे सकता है। किन्तु सभी सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे इस प्रकार के उपहारों के दिए जाने को भी रोकने का भरसक प्रयत्न करें।

उदाहरण

एक कसबे के नागरिक यह निश्चय करते हैं कि 'क'को, जो एक सब गण्डलीय अधिकारी है, बाढ़ के दौरान उसके द्वारा की गई सेवाओं के सराहना स्वरूप एक घड़ी भेंट में दी जाय, जिसका मूल्य उसके मूल वेतन के दशांश से अधिक है। सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना, 'क' उक्त उपहार स्वीकार नहीं कर सकता है।

- 11--क--कोई सरकारी शोधक--

(1) न तो दहेज देगा और न लेगा उसके देने या लेने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, और

(2) न, यथारिथति, बहु या वर के माता-पिता या संरक्षक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दहेज की माँग करेगा।

स्पष्टीकरण--इस नियम के प्रयोजनार्थ शब्द "दहेज" का वही अर्थ होगा, जो दहेज प्रति रोध अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 28, वर्ष 1961) में इसके दिये दिये गये हैं।

12—सरकारी कर्मचारियों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन— कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जब कि उसने सरकार के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो कोई गान-पत्र या विदाई-पत्र नहीं लेगा, न कोई प्रमाण-पत्र स्वीकार करेगा और न अपने सम्मान में या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के सम्मान में आयोजित किसी सभा या सार्वजनिक आमोद में उपस्थित होगा:

परन्तु इस नियम में दी हुई कोई बात, किसी ऐसे विदाई समारोह के संबंध में लागू न होगी, जो सारतः (substantially) निजी तथा अरीतिक स्वरूप का हो, और जो किसी सरकारी कर्मचारी के सम्मान में उसके अवकाश प्राप्त करने (retirement) या स्थानान्तरण के अवसर पर आयोजित हो, या किसी ऐसे व्यक्ति के सम्मान में आयोजित हो जिसने हाल ही में सरकार की सेवा छोड़ी हो।

उदाहरण

'क', जो डिप्टी कलेक्टर है, रिटायर होने वाला है। 'ख' जो जिले में एक दूसरा डिप्टी कलेक्टर है, 'क' के सम्मान में एक ऐसा भोज दे सकता है जिसमें चुने हुए व्यक्ति आमंत्रित किये गये हों।

13—असरकारी व्यापार या नौकरी— कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी व्यापार या कारोबार में भाग नहीं लेगा और न ही कोई रोजगार करेगा।

परन्तु कोई सरकारी कर्मचारी, इस प्रकार की स्वीकृति प्राप्त किये बिना कोई सामाजिक या धर्मार्थ प्रकार का अवैतनिक कार्य या कोई साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकार का आकस्मिक (occasional) कार्य कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इस कार्य द्वारा उसके सरकारी कर्तव्यों में कोई अड़चन नहीं पड़ती है तथा वह ऐसा कार्य हाथ में लेने से एक महीने के भीतर ही, अपने विभागाध्यक्ष को और यदि वह स्वयं विभागाध्यक्ष हो, तो सरकार को, इस बात की सूचना दे दें, किन्तु, यदि सरकार उसे इस प्रकार का कोई आदेश दे तो वह ऐसा कार्य हाथ में नहीं लेगा, और यदि उसने उसे हाथ में ले लिया है, तो बन्द कर देगा। विशुद्ध रूप से साहित्यिक, कलात्मक और वैज्ञानिक किस्म की रचनाओं से भिन्न रचनाओं के प्रकाशन की दशा में, पुस्तकें लिखने तथा प्रकाशित करने और उनके लिये स्वामित्व (रायल्टी) स्वीकार करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर दी जायेगी:—

(1) पुस्तक पर सरकार की मुद्रणानुज्ञप्ति (imprimatur) अंकित न हो।

(2) पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर लेखक का नाम बिना उसके सरकारी पदनाम के दिया गया हो, किन्तु पुस्तक के वहिरावरण (dust-cover) पर जिसमें जनता को लेखक का परिचय दिया जाता है, सरकारी पदनाम देने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

(3) लेखन पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर अथवा किसी अन्य उपयुक्त स्थल पर अपने नाम से यह उल्लेख कर दे कि पुस्तक में वर्णित लेखक के विचारों और टीका टिप्पणियों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की है और पुस्तक के प्रकाशन से सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है।

(4) लेखक को यह बात भी सुनिश्चित करनी चाहिये कि पुस्तक में तथ्य अथवा मत संबंधी कोई ऐसा कथन नहीं है जिसमें राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी की किसी वर्तमान अथवा हाल की नीति या कार्य की कोई प्रतिकूल आलोचना की गई है।

(5) सरकारी कर्मचारियों को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों की बिक्री से होने वाली आय पर एकमुक्त धनराशि अथवा लगातार प्राप्त होने वाली धनराशि दोनों ही रूप में रवागित्व (रायल्टी) स्वीकार करने की अनुमति दी जा सकती है, किन्तु, प्रतिबन्ध यह है कि यदि:-

(क)-(1) पुस्तक केवल नौकरी के दौरान प्राप्त ज्ञान की सहायता से लिखी गई है, अथवा

(2) पुस्तक केवल सरकारी नियमों, विनियमों या कार्यविधियों का संकलन मात्र है,

तो लेखक (सरकारी कर्मचारी) से, जब तक कि राज्यपाल विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निदेश न दें, इस बात की अपेक्षा की जायेगी कि वह आय का एक-तिहाई सामान्य राजस्व के खाते में उस दशा में जमा करे जब कि आय 2500 रु० से अधिक हो या यदि वह आवर्तक रूप में प्राप्त होने वाली तथा 2500 रु० वार्षिक से अधिक हो।

(ख)-(1) पुस्तक सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी नौकरी के दौरान प्राप्त ज्ञान की सहायता से लिखी गई है, किन्तु वह सरकारी नियमों, विनियमों और अथवा कार्यविधियों का संग्रह मात्र नहीं है बरन् सम्बन्धित विषय पर लेखक के विद्वत्पूर्ण अध्ययन को प्रकट करती है, अथवा

(2) रचना के लेखक के सरकारी पद से न तो कोई सम्बन्ध है और न होने की सम्भावना है,

तो पुस्तक की बिक्री की आय या स्वामित्व (रायल्टी) से उसके द्वारा आवर्तक या अनावर्तक रूप में प्राप्त आय का कोई भाग सामान्य राजस्व के खाते में जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

2—यह भी निश्चित किया गया है कि उत्तरांचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली 2002 के नियम 13 के अधीन सरकारी कर्मचारियों द्वारा ऐसी साहित्यिक, कलात्मक और वैज्ञानिक किस्म की रचनाओं के प्रकाशन के लिये सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है जिनमें उनके सरकारी कार्य से सहायता नहीं ली गई है और प्रतिशत के आधार पर स्वामित्व (रायल्टी) स्वीकार करने का प्रस्ताव नहीं किया गया है। किन्तु सरकारी कर्मचारी को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रकाशनों में उन शर्तों का कड़ाई से पालन किया गया है जिनका उल्लेख ऊपर प्रस्तर-1 में किया गया है और उनसे सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं होता है।

3—किन्तु उन सभी दशाओं में सरकार की पूर्व स्वीकृति ली जानी चाहिये जिनमें लगातार स्वामित्व (रायल्टी) प्राप्त करने का प्रस्ताव हो। इस प्रकार की अनुमति देते समय रचना के पाठ्य -पुस्तक के रूप में नियत किये जाने और ऐसी दशा में सरकारी पद के दुरुपयोग होने की सम्भावना पर भी विचार किया जाना चाहिए।

14—कम्पनियों का निबन्धन, प्रवर्तन (promotion) तथा प्रबन्ध — कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जब कि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी ऐसे बैंक या अन्य कम्पनी के निबन्धन, प्रवर्तन या प्रबन्ध में भाग न लेगा, जो इंडियन कम्पनीज ऐक्ट, 1913 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, निबद्ध हुआ है:

परन्तु कोई सरकारी कर्मचारी कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1912 (ऐक्ट सं० 2, 1912) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निबद्ध किसी सहकारी समिति या सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 (ऐक्ट सं०-21, 1860) या किसी तत्स्थानी प्रवृत्त विधि के अधीन निबद्ध किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक या धर्मार्थ समिति के निबन्धन, प्रवर्तन या प्रबन्ध में भाग ले सकता है।

और भी परन्तु यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी सहकारी समिति के प्रतिनिधि के रूप में किसी बड़ी सहकारी समिति या निकाय (Body) में उपस्थित हो तो उस बड़ी सहकारी समिति या निकाय के किसी पद के निर्वाचन की इच्छा न करेगा। वह ऐसे निर्वाचनों में केवल अपना मत देने के लिए भाग ले सकता है।

15—बीमा कारबार— कोई सरकारी कर्मचारी कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1912 (ऐक्ट सं० 2, 1912) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निबद्ध किसी सहकारी समिति या सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 (ऐक्ट सं० 21, 1860) या किसी तत्स्थानी प्रवृत्त विधि के अधीन निबद्ध किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक या धर्मार्थ समिति के निबन्धन, प्रवर्तन या प्रबन्ध में भाग ले सकता है।

16—अवयस्को (minors) का संरक्षकत्व (guardianship)—कोई सरकारी कर्मचारी, समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त बिना, उसी पर आश्रित किसी अवयस्क के अतिरिक्त, किसी अन्य अवयस्क (minor) के शरीय या सम्य के विधिक संरक्षण (legal guardian) के रूप में कार्य नहीं करेगा,

स्पष्टीकरण—1—इस नियम के प्रयोजन के लिये, आश्रित (dependant) से तात्पर्य किसी सरकारी कर्मचारी की पत्नी, बच्चों तथा सौतेले बच्चों और बच्चों से है, और इसके अन्तर्गत उसके जनक (parents) बहिने, भाई, भाई के बच्चे और बहिन के बच्चे भी सम्मिलित होंगे, यदि वे उसके साथ निवास करते हों और उस पर पूर्णतः आश्रित हों।

स्पष्टीकरण—2— इस नियम के प्रयोजन के लिये, समुचित प्राधिकारी (Appropriate Authority) वही होगा, जैसा कि नीचे दिया गया है—

विभागाध्यक्ष, डिप्टी जेन के

कमिशनर या कलेक्टर के लिए: राज्य सरकार

जिला जज के लिए .. उच्च न्यायालय का प्रशासकीय जज

अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए .. संबंधित विभागाध्यक्ष

17—किसी संबंधी (रिश्तेदार) के विषय में कार्यवाही—

(1) जब कोई सरकारी कर्मचारी, किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे में, जो उसका संबंधी हो, चाहे यह संबंध दूर या निकट का हो, कोई प्रस्ताव या मत प्रस्तुत करता है या कोई अन्य कार्यवाही करता है, चाहे यह प्रस्ताव मत या कार्यवाही,

उक्त संबंधी के पक्ष में हो अथवा उराके विरुद्ध हो, तो वह प्रत्येक ऐसे प्रस्ताव, मत या कार्यवाही के साथ, यह बात भी स्पष्ट रूप से बता देगा कि वह व्यक्ति विशेष उसका संबंधी है अथवा नहीं है और यदि वह उसका ऐसा संबंधी है, तो इस संबंध का स्वरूप क्या है।

(2) जब किसी प्रवृत्त विधि, नियम या आज्ञा के अनुसार कोई सरकारी कर्मचारी किसी प्रस्ताव, मत या किसी अन्य कार्यवाही के संबंध में अंतिम रूप से निर्णय करने की शक्ति रखता है, और जब वह प्रस्ताव, मत या कार्यवाही, किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के संबंध में है, जो उसका संबंधी है, चाहे वह संबंध दूर अथवा निकट का हो, और चाहे उस प्रस्ताव, मत या कार्यवाही का उक्त व्यक्ति विशेष पर अनुकूल प्रभाव पड़ता हो या अन्वथा, वह कोई निर्णय नहीं देगा, बल्कि वह उस मामले को अपने बरिष्ठ पदाधिकारी को प्रस्तुत कर देगा और साथ ही उसे प्रस्तुत करने के कारण तथा संबंध के स्वरूप को भी स्पष्ट कर देगा।

18—सट्टा लगाना—

(1) कोई सरकारी कर्मचारी, किसी लगी हुई पूंजी (investment) में सट्टा नहीं लगायेगा।

स्पष्टीकरण—बहुत ही अस्थिर मूल्य वाली प्रतिभूतियों की सत्त (habitual) खरीद या बिक्री के संबंध में यह सांगझा जायेगा कि वह इस नियम के अर्थ में लगी हुई पूंजियों में सट्टा लगाता है।

(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई प्रतिभूति या लगी हुई पूंजी, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट स्वरूप की है अथवा नहीं, तो उस पर सरकार द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

19—लगाई हुई पूंजियों—

(1) कोई सरकारी कर्मचारी, न तो कोई पूंजी इस प्रकार स्वयं लगायेगा और न अपनी पत्नी या अपने परिवार के किसी सदस्य को लगाने देगा। जिससे उसके सरकारी कर्तव्यों के परिपालन में उलझन या प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई प्रतिभूति या लगी हुई पूंजी उपर्युक्त स्वरूप की है अथवा नहीं, तो उरा पर सरकार द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

उदाहरण

कोई जिला जज, उस जिले में जिसमें वह तैनात है, अपनी पत्नी या अपने पुत्र को, कोई शिनेगागृह खोलने, या उसमें कोई हिस्सा खरीदने की अनुमति नहीं देगा।

20—उधार देना और उधार लेना—

(1) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास उराके प्राधिकार की रथानीय सीमाओं के भीतर, कोई भूमि या बहुमूल्य सम्पत्ति हो, रूपया उधार नहीं देगा और न किसी व्यक्ति को व्याज पर रूपया उधार देगा;

परन्तु कोई सरकारी कर्मचारी, किसी असरकारी नौकर को अग्रिम रूप से वेतन दे सकता है, या इस बात के होते हुए भी कि ऐसा व्यक्ति (उसका मित्र या संबंधी) उसको प्राधिकार की रथानीय सीमाओं के भीतर कोई भूमि रखता है, वह अपने किसी जातीय मित्र या संबंधी को, बिना व्याज के, एक छोटी रकम वाला ऋण दे सकता है।

(2) कोई भी सरकारी कर्मचारी, सिवाय किसी बैंक, सहकारी समिति या अच्छी साख वाले फर्म के साथ साधारण व्यापारिक काम के अनुसार न तो किसी व्यक्ति से, अपने रथानीय प्राधिकार की सीमाओं के भीतर, रूपया उधार लेगा, और न अन्यथा अपने को ऐसी स्थिति में रखेगा जिससे वह उस व्यक्ति के वित्तीय बंधन (pecuniary obligation) के अन्तर्गत हो जाय, और न वह सिवाय उस दशा के जब कि उसने समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो। अपने परिवार के किसी सदस्य को इस प्रकार का व्यवहार करने की अनुमति देगा।

परन्तु कोई सरकारी कर्मचारी, किसी जातीय मित्र (personal friend) या संबंधी से, अपने दो माह के मूल वेतन या उससे कम मूल्य का बिना व्याज वाला एक-छोटी रकम का एक नितान्त अस्थायी ऋण स्वीकार कर सकता है या किसी वास्तविक (bona-fide) व्यापारी के साथ उधार-लेखा चला सकता है।

(3) जब कोई सरकारी कर्मचारी, इस प्रकार के किसी पद पर नियुक्ति या स्थानान्तरण पर भेजा जाय जिसमें उसके द्वारा उप नियम (1) या उप नियम (2) के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन निहित हो, तो वह तुरन्त ही समुचित प्राधिकारी को उक्त परिस्थितियों की रिपोर्ट भेज देगा, और उसके बाद ऐसे आदेशों के अनुसार कार्य करेगा जिन्हें समुचित प्राधिकारी दें।

(4) ऐसे सरकारी कर्मचारियों की दशा में, जो राजपत्रित पदाधिकारी हैं, समुचित प्राधिकारी राज्य सरकार होगी और, दूसरे मामलों में, कार्यालयाध्यक्ष समुचित प्राधिकारी होगा।

21- दिवालिया और अभ्यासी ऋणग्रस्तता (Habitual indebtedness)-

सरकारी कर्मचारी, अपने जातीय मामलों का ऐसा प्रबन्ध करेगा जिससे वह अभ्यासी ऋणग्रस्तता से या दिवालिया होने से बच सके। ऐसे सरकारी कर्मचारी, को, जिसके विरुद्ध उसके दिवालिया होने के संबंध में कोई विधिक कार्यवाही चल रही हो, उसे चाहिए कि वह तुरन्त ही उस कार्यालय या विभाग के अध्यक्ष, को, जिसमें वह सेवायोजित हो, सब बातों की रिपोर्ट भेज दें।

22- चल अचल तथा बहुमूल्य सम्पत्ति-

(1) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जब कि समुचित प्राधिकारी को इसकी पूर्व जानकारी हो, या तो स्वयं अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से, पट्टा, रहना, कय, विकय या गेट द्वारा या अन्यथा, न तो कोई अचल सम्पत्ति अर्जित करेगा और न उसे बेचेगा:

परन्तु किसी ऐसे व्यवहार के लिये, जो किसी नियमित और ख्यातिप्राप्त (reputed) व्यापारी से भिन्न व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया गया हो, समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

उदाहरण

'क', जो एक सरकारी कर्मचारी है, एक मकान खरीदने का प्रस्ताव करता है। उसी समुचित प्राधिकारी को इस प्रस्ताव की सूचना दे देनी चाहिये। यदि वह व्यवहार, किसी नियमित और ख्याति-प्राप्त व्यापारी से भिन्न व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया जाना है, तो 'क' को चाहिए कि वह समुचित प्राधिकारी की पूर्ण स्वीकृति भी प्राप्त कर ले। यही प्रक्रिया उस दशा में भी लागू होगी जब 'क' अपना मकान बेचने का प्रस्ताव करे।

(2) कोई सरकारी कर्मचारी जो अपने एक मारा के वेतन अथवा 5,000 रु०, जो भी कम हो, से अधिक मूल्य की किसी चल सम्पत्ति के संबंध में कय-विकय के रूप में या अन्य प्रकार से कोई व्यवहार करता है तो ऐसे व्यवहार की रिपोर्ट तुरन्त समुचित प्राधिकारी को करेगा,

प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय किसी ख्यातिप्राप्त व्यापारी या अच्छी राख के अधिकर्ता के साथ या द्वारा या समुचित प्राधिकारी की पूर्ण स्वीकृति से, इस प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करेगा।

उदाहरण

(क) 'क' जो एक सरकारी कर्मचारी है जिसका मासिक वेतन छः सौ रूपया है और वह सात सौ रूपये का टेप रिकार्डर खरीदता है, या

(2) 'ख' जो एक सरकारी कर्मचारी है जिसका मासिक वेतन दो हजार रूपया है और पन्द्रह सौ रूपये में मोटर बेचता है,

किसी भी दशा में 'क' या 'ख' को इस मामले की रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी को अवश्य करनी चाहिये। यदि व्यवहार किसी ख्याति प्राप्त व्यापारी से भिन्न प्रकार से किया जाता है तो उसी समुचित प्राधिकारी की पूर्ण स्वीकृति भी आवश्यक प्राप्त कर लेनी चाहिये।

(3) प्रथम नियुक्ति के समय और तदुपरान्त हर पांच वर्ष की अवधि बीतने पर, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, सामान्य रूप से नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी को, ऐसी सभी अचल सम्पत्ति की घोषणा करेगा जिसका वह स्वयं स्वामी हो, जिसे उसने स्वयं अर्जित किया हो या जिसे उसने दान के रूप में पाया हो या जिसे वह पट्टा या रेहन पर रखे हो, और ऐसी हिस्सों की या अन्य लगी हुई पूंजियों की घोषणा करेगा, जिन्हें वह समय समय पर रखे या अर्जित करे, या उसकी पत्नी या उसके साथ रहने वाले या किसी प्रकार भी उस पर आश्रित उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा रखी गई हो या अर्जित की गई हो। इन घोषणाओं में सम्पत्ति, हिस्सों और अन्य लगी हुई पूंजियों के पूरे व्योरे दिये जाने चाहिये।

(4) समुचित प्राधिकारी, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी भी समय, किसी सरकारी कर्मचारी को यह आदेश दे सकता है कि वह आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, ऐसी चल या अचल सम्पत्ति का, जो उसके पास अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के पास रही हो या अर्जित की गई हो, और जो आदेश में निर्दिष्ट हों, एक सम्पूर्ण विवरण- पत्र प्रस्तुत करें। यदि समुचित प्राधिकारी ऐसी आज्ञा दे तो ऐसे विवरण पत्र में, उन साधनों (Means) के या उस तरीके (Source) के व्योरे भी सम्मिलित हों, जिनके द्वारा ऐसी सम्पत्ति अर्जित की गई थी।

(5) रागुचित प्राधिकारी

(क) राज्य सेवा से संबंधित किसी सरकारी कर्मचारी के प्रसंग में, उप नियम (1)

तथा (4) के प्रयोजनों के निमित्त, राज्य सरकार तथा उप-नियम (2) के निमित्त विभागाध्यक्ष होंगे।

(ख) अन्य सरकारी कर्मचारियों के प्रसंग में उप-नियम (1) से (4) तक के प्रयोजनों के निमित्त, विभागाध्यक्ष होंगे।

23— सरकारी कर्मचारियों के कार्यों तथा चरित्र का प्रतिसमर्थन (Vindication) —

कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उरा दशा में जब कि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी ऐसे सरकारी कार्य का, जो प्रतिकूल आलोचना या मानहानिकारी आक्षेप का विषय बन गया हो के प्रतिसमर्थन करने के लिये, किसी समाचार-पत्र की शरण नहीं लेगा।

स्पष्टीकरण—इस नियम की किसी बात के संबंध में यह नहीं समझा जायेगा कि किसी सरकारी कर्मचारी को, अपने जातीय चरित्र का या उराके द्वारा निजी रूप में किये गये किसी कार्य का प्रतिसमर्थन करने से प्रतिषेध किया जाता है।

24— असरकारी या अन्य बाह्य प्रभाव (Outside influence) का मतार्थन —कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा से सम्बन्धित हितों से सम्बद्ध किसी मामले में कोई राजनीतिक या अन्य बाह्य साधनों से न तो स्वयं और न ही अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा कोई प्रभाव डालेगा या प्रभाव डालने का प्रयास करेगा।

स्पष्टीकरण—सरकारी कर्मचारी की यथार्थिपत्ति पत्नी या पति या अन्य सम्बन्धी द्वारा किया गया कोई कार्य जो इस नियम की व्याप्ति के अन्तर्गत हो, के संबंध में, जब तक कि इसके विपरीत प्रमाणित न हो जाय, यह माना जायेगा कि वह कार्य सम्बन्धित कर्मचारी की प्रेरणा या मौन स्वीकृति से किया गया है।

उदाहरण

'क', एक सरकारी कर्मचारी है और 'ख' 'क' के कुटुम्ब का एक सदस्य है, 'ग' एक राजनीतिक दल है और 'ग' के अन्तर्गत 'घ' एक संगठन है। 'ख' ने 'ग' में पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर ली और 'घ' में एक पदाधिकारी हो गया। 'घ' के द्वारा 'ख' ने 'क' की बात का समर्थन करना प्रारम्भ किया यहाँ तक कि 'ख' ने 'क' के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध संकल्प प्रस्तुत किया। 'ख' का यह कार्य उपर्युक्त नियम के उपबन्धों का उल्लंघन होगा और उसके सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह 'क' की प्रेरणा या उसकी मौन स्वीकृति से किया गया है, जब तक कि 'क' यह न प्रमाणित कर दे कि ऐसा नहीं था।

24— क—सरकारी सेवकों द्वारा अभ्यावेदन—कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उचित माध्यम से और ऐसे निर्देशों के अनुसार जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर जारी करें, व्यक्तिगत रूप से या अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को कोई अभ्यावेदन नहीं करेगा। नियम 24 का स्पष्टीकरण इस नियम पर भी लागू होगा।

25— अनाधिकृत वित्तीय व्यवस्थापन—कोई सरकारी कर्मचारी किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ, कोई ऐसी वित्तीय व्यवस्था नहीं करेगा जिससे दोनों में किसी एक को या दोनों ही अनाधिकृत रूप से सा

तत्समय प्रवृत्त किसी नियम के विशिष्ट (specific) या विवक्षित (implied) उपबन्धों के विरुद्ध किसी प्रकार का लाभ हो।

उदाहरण

(1) 'क', किसी कार्यालय में एक सीनियर क्लर्क है, और स्थानापन्न रूप से पदोन्नति पाने का अधिकारी है। 'क' को इस बात का भरोसा नहीं है कि वह उस स्थानापन्न पद के अपने कर्तव्यों का संतोषजनक रूप से निर्वहन कर सकता है। 'ख' जो एक जूनियर क्लर्क है कुछ वित्तीय प्रतिफल को दृष्टि में रखकर 'क' को निजी तौर पर मदद देने को तैयार होता है। तदनुसार 'क' और 'ख' वित्तीय व्यवस्था करते हैं। दोनों ही इस प्रकार नियम खण्डित करते हैं।

(2) यदि 'क', जो किसी कार्यालय का अधीक्षक है, छुट्टी पर जाय, तो ख, जो कार्यालय का राबरो सीनियर असिस्टेन्ट है, स्थानापन्न रूप से कार्य करने का अवसर पा जायेगा। यदि क, ख के साथ, स्थानापन्न गत्तो में एक हिस्सा लेने की व्यवस्था करने के पश्चात् छुट्टी पर जाय, तो क और ख दोनों ही नियम खण्डित करेंगे।

26— बहु-विवाह—(1) कोई सरकारी कर्मचारी, जिसकी एक पत्नी जीवित है, तत्समय लागू किसी स्वीय विधि के अधीन किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना दूसरा विवाह नहीं करेगा;

(2) कोई महिला सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसकी एक पत्नी जीवित हो, विवाह नहीं करेगी।

27— सुख-सुविधाओं का समुचित प्रयोग—कोई सरकारी सेवक लोक कर्तव्यों के निर्वहन हेतु सरकार द्वारा उसे प्रदत्त सुविधाओं का दुरुपयोग अथवा असावधानी पूर्वक प्रयोग नहीं करेगा।

उदाहरण

सरकारी कर्मचारियों के निमित्त जिन सुख-सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है उनमें मोटर, टेलीफोन, निवास-स्थान, फर्नीचर, अर्दली, लेखन- सामग्री आदि की व्यवस्था सम्मिलित है। इन वस्तुओं के दुरुपयोग के अथवा उनके असावधानी पूर्वक प्रयोग किये जाने के उदाहरण निम्न हैं:—

(1) सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों या उसके अतिथियों द्वारा, सरकारी व्यय पर, सरकारी वाहनों का प्रयोग करना या अन्य असरकारी कार्य के लिये उनका प्रयोग करना,

(2) ऐसे मामलों में, जिनका सम्बन्ध सरकारी कार्य से नहीं है, सरकारी व्यय पर, टेलीफोन, द्रव्यकाल करना,

(3) सरकारी निवास-स्थानों और फर्नीचर के प्रति उपेक्षा बरतना तथा समुचित रूप से रक्षा करने में अशफल रहना, और

(4) असरकारी कार्य के लिये सरकारी लेखन-सामग्री का प्रयोग करना।

28— खरीददारियों के लिये मूल्य देना— कोई सरकारी कर्मचारी, उस समय तक जब तक कि किरतों में मूल्य देना प्रथानुसार (customary) या विशेष रूप से उपबन्धित न हो या जब तक कि किसी वास्तविक (bonafide) व्यापारी के पास उसका उधार-लेखा (credit account) खुला न हो, उन वस्तुओं का, जिन्हें उसने खरीदा हो, या ऐसी खरीददारियों उसने दौरे पर या अन्यथा की हों, शीघ्र और पूर्ण मूल्य देना संके नहीं रखेगा।

- 29— बिना मूल्य दिये सेवाओं का उपयोग करना—कोई सरकारी कर्मचारी, बिना यथायचित और पर्याप्त मूल्य दिये बिना किसी ऐसी सेवा या आमोद (entertainment) का स्वयं प्रयोग नहीं करेगा जिसके लिये कोई किराया या मूल्य या प्रवेश शुल्क लिया जाता हो।

उदाहरण

जब तक ऐसा करना कर्तव्य के एक मात्र के रूप में निर्धारित न किया गया हो, कोई सरकारी कर्मचारी:

- (1) किसी भी किराये पर चलने वाली वाहन में बिना मूल्य दिये यात्रा नहीं करेगा,
(2) बिना प्रवेश शुल्क दिये सिनेमा शो नहीं देखेगा।

- 30— दूसरों की सवारी वाहन प्रयोग में लाना— कोई सरकारी कर्मचारी, बिना विशेष परिस्थितियों में, किसी ऐसी सवारी वाहन को प्रयोग नहीं करेगा जो किसी असाधारण व्यक्ति की हो या किसी ऐसी सरकारी कर्मचारी की हो, जो उसके अधीन हो।

- 31— अधीनस्थ कर्मचारियों के जरिये खरीदारियां—कोई सरकारी कर्मचारी, किसी ऐसी सरकारी कर्मचारी से, जो उसके अधीन हो, अपनी ओर से या अपनी पत्नी या अपने परिवार के अन्य सदस्य की ओर से चाहे अग्रिम भुगतान करने पर या अन्यथा, उसी शहर में या किसी दूसरे शहर में, खरीदारियां करने के लिये न तो स्वयं कहेगा और न अपनी पत्नी को या अपने परिवार के किसी ऐसे अन्य सदस्य को, जो उसके साथ रह रहा हो, कहने की अनुमति देगा;

परन्तु यह नियम उन खरीदारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें करने के लिये सरकारी कर्मचारी से सम्बद्ध निम्नकोटि के कर्मचारी वर्ग से कहा जाय।

उदाहरण

'क', एक डिप्टी कलेक्टर है।

'ख', उक्त डिप्टी कलेक्टर के अधीन एक तहसीलदार है।

'क' को चाहिये कि वह अपनी पत्नी को इस बात की अनुमति न दे कि वह 'ख' से कहे कि वह उसके लिये कपड़ा खरीदवा दे।

- 32— निर्वचन (Interpretation)—यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो उसे सरकार को सन्दर्भित करना होगा तथा सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

- 33— निरसन (Repeal) तथा अपवाद (Saving)— इन नियमों के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व प्रवृत्त कोई भी नियम, जो इन नियमों के तत्स्थानी थे और जो उत्तरांचल प्रदेश की सरकार के नियंत्रण के अधीन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते थे, एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार निरस्त किये गये नियमों के अधीन जारी हुए किसी आदेश या की गई किसी कार्यवाही के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह आदेश या कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन जारी किया गया था या की गयी थी।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1473 A/Karmic-2/2002, dated November 22, 2002 for general information :

No. 1473 A/Karmic-2/2002
Dated Dehradun, November 22, 2002

NOTIFICATION/MISCELLANEOUS

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution of India, the Governor of Uttaranchal makes the following rules to regulate the conduct of government servants employed in connexion with the affairs of the State:-

THE UTTARANCHAL GOVERNMENT SERVANTS' CONDUCT RULES, 2002

- 1- **Short title-** These rules may be called the Uttaranchal Government Servants' Conduct Rules, 2002
- 2- **Definition-** In these rules unless the context otherwise requires, -

(a) "Government" means the Government of Uttaranchal ;

(b) "Government servants" means a such public servant who is appointed to public services and posts in connexion with the affairs of the State of Uttaranchal.

Explanation- A government servant whose services are placed at the disposal of a company, a corporation, an organization, a local authority the central Government or the Government of another State by the Uttaranchal Government, shall, for the purposes of these rules be deemed to be a government servant notwithstanding that his salary is drawn from sources other than from the consolidated Fund of Uttaranchal ;

(c) "member of the family" in relation to government servant, includes

(I) The wife, son, step-son, unmarried daughter, or unmarried step-daughters of such government servant whether residing with him or not, and, in relation to a government servant who is a woman, the husband residing with her and dependent on her, and

(II) Any other person related, whether by blood or by marriage, to the government servant or to such government servant's wife or her husband, and wholly dependent on such government servant.

But does not include a wife or husband legally separated from the government servant or a son, step-son, unmarried daughter or unmarried step-daughter who is no longer, in any way dependent upon him or her, or of whose custody, the government servant has been deprived by law.

3. General

(1) every government servant shall at all times maintain absolute integrity and devotion to duty.

(2) Every government servant shall at all times conduct himself in accordance with the specific or implied orders of Government regulating behavior and conduct which may be in force.

(3) Prohibition of sexual harassment of working women –
(i) No Government servant shall indulge himself in any sexual harassment to any women at his working place.

(ii) Every Government servant who is in charge of a working place will take suitable steps to stop sexual harassment of women.

Explanation- For the purpose of this rule the sexual harassment includes such un-welcome sexually determined behavior (Whether directly or by implication) as-

- (a) Physical contact and advances,
- (b) Demand or request for sexual favours,
- (c) Sexually coloured remarks,
- (d) Showing pornography,
- (e) Any other un-welcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature.

(4) No Government servant will employ the children below the age of fourteen years as domestic help.

4. Equal treatment for all. -(1) every government servant shall accord equal treatment to people irrespective of their caste, sect or religion.

(2) No government servant shall practice untouchability in any form.

4-A. Consumption of intoxicating drinks and drugs. - A Government servant shall-

(a) Strictly abide by any law relating to intoxicating drinks or drugs in force, in any area in which he may happen to be for the time being;

(b) Not be under the influence of any intoxicating drinks or drug during the course of his duty and shall also take due care that the performance of his duties at any time is not affected in any way by the influence of such drinks or drug;

(c) Refrain from consuming any intoxicating drink or drug in a public place;

(d) Not appear in a public place in a state of intoxication;

(e) Not use any intoxication drink or drug to excess.

Explanation- 1. For the purposes of this rule, 'public place' means any place or premises (including a conveyance) to which the public have, or are permitted to have access, whether on payment or otherwise.

Explanation- 2. Any club: -

(a) Which admits persons other than government servants as members; or

(b) The member of which are allowed to invite non-members as guests thereto even though the membership is confined to government servants, shall also, for purposes of Explanation-1, be deemed to be a place to which the public have or are permitted to have access.

5. **Taking part in politics and elections-** (1) No government servant shall be a member of, or be otherwise associated with, any political party or any organization which takes part in politics, nor shall he take part in, subscribe in aid of, or assist in any other manner, any movement or organization which is, or tends directly or indirectly to be, subversive of the government as by law established.

Illustration

XYZ are political parties in the State.

X is the part in power and forms the Government of the day.

A is a government servant.

The prohibitions of the sub-rule apply to A in respect of all parties, including X, which is the part in power.

(2) It shall be the duty of every government servant to endeavour to prevent any member of his family from taking part in, subscribing in aid of, or assisting in any other manner any movement or activity which is, or tends directly or indirectly, to be, subversive of the Government as by

law established and where a government servant fails to prevent a member of his family from taking part in, or subscribing in aid of, of make report to that effect to the government.

Illustration

A is a government servant.

B is a member of the family of A, as defined in rule 2(c).

M is a movement or activity, which is, or tends directly or indirectly to lie, subversive of Government as law established.

A becomes aware that B's association with M is objectionable under the provisions of the sub-rule. A should prevent such objectionable association of B. If A fails to prevent such association of B. he should report the matter to the Government.

If any question arises whether any movement or activity falls within the scope of this rule, the decision of the Government thereon shall be final.

(3) No government servant shall canvas or otherwise interfere or use his influence in connection with, or take part in, an election to any legislature or local authority:

Provided that--

(I) A government servant qualified to vote at such election may exercise his right to vote, but where he does so, he shall give no indication of the manner in which he proposes to vote or has voted;

(II) A government servant shall not be deemed to have contravened the provisions of this rule by reasons only that he assists in the conduct of an election in the due performance of a duty imposed on him by or under any law for the time being in force.

Explanation- the display by a government servant on his persons, vehicle, or residence, of any electoral symbol shall amount to using his influence in connection with an election within meaning of sub-rule (4).

5.A Demonstration and strikes- No government servant shall-

(1) Engage himself or participate in any demonstration which is prejudicial to the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or which involves contempt of court, defamation or incitement to an offence, or

- (2) Resort to, or in any way abet, any form of strike in connection with any matter pertaining to his service or the service of any other government servant.

5.B **Joining of association by government servant-** No government servant shall join, or continue to be a member of, an association the objects or activities of which are prejudicial to the interest of the sovereignty and integrity of India or public order or morality.

6. **Connection with press or radio-** (1) No government servant shall except with the previous sanction of the Government, own wholly or in part or conduct or participate in editing or managing of any news paper or other periodical publication.

(2) No government servant shall, except with the previous sanction of the Government or any other authority empowered by it in this behalf, or in the bona fide discharge of his duties, participate in a radio Broadcast or contribute any article or write any letter, either anonymously or in his own name or in the name of any other person to any newspaper or periodical:

Provided that no such sanction shall be required if such broadcast or such contribution is of a purely literary, artistic or scientific character.

7. **Criticism of Government-** No government servant shall, in any radio broadcast or in any document published anonymously or in his own name, or in the name of any other person, or in any communication to the Press, or in any public utterance, make any statement of fact or opinion-

- (I) Which has the effect of any adverse criticism of any decision of his supervisor officers or of any current or recent policy or action of the Uttaranchal Government or the Central Government or the Government of any other State or a local authority; or
- (ii) Which is capable of embarrassing the relation between the Uttaranchal Government and - Central Government or the Government of any other States, or
- (iii) Which is capable of embarrassing the relations between the Central Government and the Government of any other foreign States:

Provided that nothing in this rule shall apply to any statement made or views expressed by a government servant in his official capacity or in the due performance of the duties assigned to him.

Illustration

- (1) A, a government servant is dismissed from service by the Government. It is not permissible for B, another government servant, to say publicly that the punishment is wrongful, excessive or unjustified,
 - (2) A public officer is transferred from station A to station B. No government servant can join the agitation for the retention of the public officer at station A.
 - (3) It is not permissible for a government servant to criticise publicly the policy of Government on such matters as the price of sugarcane fixed in any year nationalization of transport, etc.
 - (4) A government servant cannot express any opinion on the rate of duty imposed by the Central Government on specified imported goods.
 - (5) A neighboring State lays claim to a tract of land lying on the border of Uttaranchal. A government servant cannot publicly express any opinion on the claim.
 - (6) It is not permissible for a government servant to publish any opinion on the decision of foreign State to terminate the concessions given by it to the nationals of another State.
8. Evidence before committee or any other authority-
- (1) Save as provided in sub- rule (3) no government servant shall, except with the previous sanction of the Government, give evidence in connection with any inquiry conducted by any person, committee or authority.
 - (2) Where any sanction has been accorded under sub-rule (1) no government servant giving such evidence shall criticise the policy of the Uttaranchal Government, the Central Government or any other State Government.
 - (3) Nothing in the rule shall apply to-
 - (a) Evidence given at an inquiry before an authority appointed by the Government, by the Central Government, by the Legislature of Uttaranchal or by Parliament, or
 - (b) Evidence given in any judicial inquiry.

9. **Un authorised communication of information-** No government servant shall except in accordance with any general or special order of the Government or in the performance, in good faith, of the duties assigned to him, communicate, directly or indirectly, any official document of information to any government servant or any other person to whom he is not authorised to communicate such document or information.

Explanation- Quotation by a Government servant in his representation to his official superior, of or from the notes in any file shall amount to unauthorised communication of information within the meaning of this rule.

10. **Subscription-** Government servant may, with the previous sanction of the Government, ask for, or accept or participate in the raising of a subscription or other pecuniary assistance for a charitable purpose connected with medical relief, education or other object of public utility; but it shall not be permissible for him to ask for subscription, etc. for any other purpose whatsoever.

Illustration

A government servant may, with the previous sanction of the Government raise subscription for the boring of a tube-well for the use of the public or for the construction or repair of a public ghat,

- 11- **Gifts-** A Government servant shall not without previous approval of the government-

- (a) Accept directly or indirectly on his own behalf or in behalf of any other persons, or
- (b) Permit any member of his family who is dependent on him to accept any gift, gratuity or reward from any person other than a close relation.

Provided that he may accept or permit any member of his family to accept from a personal friend a wedding present or a present on a ceremonial occasion of a value not exceeding Rs. 1000. All government servants shall, however, use their best endeavour to discourage even the tender of such presents.

Illustration

The citizens of a town decide to present to a sub-divisional officer, a watch exceeding Rs. 1000 in value in appreciation of the services rendered by him during the flood, A can not accept the present without the previous approval of Government.

11- A. No government servant shall-

- (I) Give or take or abet the giving or taking of dowry; or
- (ii) Demand directly or indirectly from the parents or guardians of a bride or bridegroom, as the case may be, any dowry.

Explanation- for the purposes of this rule, the word " dowry has the same meaning as in the Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961).

12. **Public demonstrations in honour of government servants-** No government servant shall, except with the previous sanction of the Government, receive any complimentary or valedictory address, or accept any testimonial or attend any meeting or public entertainment held in his honour, or in the honour of any other government servant:

Provided that nothing in this rule shall apply to a farewell entertainment of a substantially private or informal character and held in honour of a government servant on the occasion of his retirement for transfer or of any person who has recently quitted service of the Government.

Illustration

A, a Deputy collector, is due to retire, B, another Deputy collector in the district, may give a dinner in honour of A to which selected persons are invited.

13. **Private trade or employment-** No government servant shall, except with the previous sanction of the Government, engage directly or indirectly in any trade business or undertake any employment:

Provided that a government servant may, without such sanction undertake honourary work of a social or charitable nature of occasional work of a literary, artistic or scientific character, subject to the condition that his official duties do not thereby suffer and that he informs his Head of Department, and when he is himself the Head of the Department, the Government, within one month of his undertaking such work; but he shall not undertake or shall discontinue, such work if so directed by the Government.

The permission to write and publish books and accept royalty therefore, in the case of publication of works other than those of purely literary, artistic or scientific character, will henceforth be granted on the following condition:

- (1) The book does not bear the imprimatur of Government.
- (2) The author's name appears in the first page of the book without his official designation. There may, however, be no objection to the official designation to be given on the dustcover where the author is introduced to the public.
- (3) The author gives a statement under his name on the first page of the book or at any other suitable place, that the author's views and comments in the book are entirely the responsibility of the author and Government are in no way concerned with the publication of the book.
- (4) The author should also ensure that the book does not contain any statement of fact or opinion which has any adverse criticism of any current or recent policy or action of the State Government or Central Government or Government of any other State or local authority.
- (5) Government servants can be permitted to accept royalty both in lump sum or on a continuing basis on the sale-proceeds of the book written by them: provided that if-
 - (a) (i) The book is written solely with the aid of the knowledge acquired in the course of service; or
 - (ii) The book is a mere compilation of Government rules, regulations or procedures.

The author (Government servant) should be required, unless the Government, by special order, otherwise directs to credit to the general revenues one-third of the income if it is in excess of Rs. 2500 or if the income is a recurring one, it is in excess of Rs. 2500 per annum.

- (b) (i) the book is written with the aid of knowledge acquired by the Government servant in the course of his service, but it is not a mere compilation of Government rules, regulations or procedures, but reveals the author's scholarly study of the subject; or

- (ii) The work neither has nor is likely to have any connection with the author's official position;

No part of the income recurring or non-recurring derived by him from the sale- proceeds or royalties of the book need be credited to the general revenues.

2. It has also been decided that sanction of Government is not necessary under Rule 13 of the Uttaranchal Government Servants Conduct Rules, 2002, for publication by Government servants of works of literary, artistic or scientific character which are not aided by his official duties and the acceptance of royalty on percentage basis is not proposed. Government servant should, however, ensure that the publication strictly conform to the conditions mentioned in Para 1 above and do not infringe the provisions of the Government Servants Conduct Rules.
 3. Prior sanction of Government should, however, be taken in all cases where continuing royalty is proposed. In granting such permission the possibility of the work being prescribed as a textbook and the misuse of official position arising from such an event should also be considered.
14. **Registration, promotion and management of companies-** No government servant shall, except with the previous sanction of the Government, take part in the registration, promotion or management of any bank or other company registered under the Indian Companies Act, 1913, or under any other law for the time being in force:

Provided that a government servant may take part in the registration. Promotion or management of a co-operative society registered under the Co-operative Societies Act, 1912 (Act II of 1912), or under any other law for the time being in force, or of a literary, scientific or charitable society registered under the Societies Registration Act, 1860 (Act XXI of 1860), or under any corresponding law in force.

Provided further that, if a government servant attend any bigger co-operative Society or body as a delegate of any co-operative society, he will not seek election for any post of that bigger society or body. He may take part in such election only for purposes of casting his vote.

15. **Insurance business -** A government servant shall not permit his wife or any other relative who is either wholly dependent on him or is residing with him, to act as an insurance agent in the same district in which he is posted.

16. **Guardianship of minors-** A government servant may not, without the previous sanction of the appropriate authority, act as a legal guardian of the person or property of a minor other than his dependent.

Explanation 1-A dependent for the purpose of this rule means a government servant's wife, children and step-children and children's children and shall also include his parents, sisters, brothers, brother's children and sister's children if residing with him and wholly dependent upon him.

Explanation 2- appropriate authority for the purpose of this rule shall be as indicated below:

For a Head of Department,	The State Government.
Divisional Commissioner of a collector.	

For a District Judge	The Administrative Judge of the High Court.
----------------------	---

For other government servants	The Head of the Department concerned.
-------------------------------	---------------------------------------

17. **Action in respect of a relation-** (1) Where a government servant submits any proposal or opinion or takes any other action, whether for or against any individual related to him, whether the relationship be distant or near, he shall with every such proposal, opinion or action, expressly state whether the individual is or is not related to him, and if so related the nature of the relationship.

(2) Where a government servant has by any law, rule or order in force power of deciding finally any proposal, opinion or any other action, and that proposal, opinion or action is in respect of an individual related to him, whether the relationship be distant or near and whether that proposal, opinion or action affects the individuals favorably or otherwise he shall not take a decision, but shall submit the case to his superior officer after explaining the reasons and the nature of relationship.

18. **Speculation-** (1) No government servant shall speculate in any investment.

Explanation- the habitual purchase or sale of securities of a notoriously fluctuating value shall be deemed to be speculation in investments within the meaning of this rule.

- (2) If any Question arise whether a security or investment is of the nature referred to in sub-rule (1), the decision of the Government thereon shall be final.

19. **Investments-** (1) No government servant shall make, or permit his wife or any member of his family to make any investment likely to embarrass or influence him in the discharge of his official duties.

- (2) If any question arises whether a security or investment is of the nature referred to above; the decision of the Government thereon shall be final.

Illustration

A District Judge shall not permit his wife, or son, to open a cinema house or to purchase a share therein, in the district where he is posted.

20. **Lending and borrowing-** (1) No government servant shall, except with the previous sanction of the appropriate authority, lend money to any person possessing land or valuable property within the local limits of his authority, or at interest to any person:

Provided that a government servant may make an advance of pay to a private servant, or give a loan of a small amount free of interest to the personal friend or relative, even if such person possess land within local limits of his authority.

- (2) No government servant shall, save in the ordinary course of business with a bank, co-operative society or a firm of standing borrow money from, or otherwise place himself under pecuniary obligation to any person within the local limits of his authority, nor shall he permit any member of his family except with the previous sanction of the appropriate authority to enter into any such transaction:

Provided that a government servant may accept a purely temporary loan of small amount free of interest, from a personal friend or relative or operate a credit account with a bona fide tradesman.

- (3) When a government servant is appointed or transferred to a post of such a nature as to involve him in the breach of any of the provisions of sub-rule (1) or sub-rule (2), he shall forthwith report the circumstance to the appropriate authority, and shall thereafter act in accordance with such orders as may be passed by the appropriate authority.

- (4) The appropriate authority in the case of government servants who are gazetted officers shall be the Government and in other cases the Head of the Office.

21. **Insolvency and habitual indebtedness**—A Government servant shall so manage his private affairs as to avoid habitual indebtedness of insolvency. A government servant who becomes the subject of legal proceedings for insolvency shall forthwith report the full facts to the head of the office or department in which he is employed.
22. **Movable, immovable and valuable property**—(1) No government servant shall, except with the previous knowledge of the appropriate authority, acquire or dispose of any immovable property by lease, mortgage, purchase, sale, gift or otherwise, either in his own name or in the name of any member of his family:

Provided that any such transaction conducted otherwise than through a regular any reputed dealer shall require the previous sanction of the appropriate authority.

Illustration

A. A government servant, proposes to purchase a house. He must inform the appropriate authority of the proposal. If the transaction is to be made otherwise than through a regular and reputed dealer A must also obtain the previous sanction of the appropriate authority. The same procedure will be applicable if A proposes to sell his house.

- (2) A Government servant who enters into any transaction concerning any movable property exceeding in value, the amount of his pay for one month or rupees five thousand, whichever is less, whether by way of purchase, sale or otherwise, shall forthwith report such transaction to the appropriate authority:

Provided that no Government servant shall enter into any such transaction except with or through a reputed dealer or agent of standing, or with the previous sanction of the appropriate authority.

Illustration

- I- A, Government servant whose monthly pay Rs 600 purchases a tap recorder for Rs. 700, or
- II— B, a Government servant whose monthly pay is Rs 2000 sells a car for Rs. 1500. In either case A or B must report the matter to the appropriate authority. If the transaction is made otherwise than through a reputed dealer must also obtain the previous sanction of the appropriate authority.

- (3) At the time of first appointment and thereafter at intervals of five years, every government servant shall make to the appointing authority through the usual channel, a declaration of all immovable property, owned, acquired or inherited by him or held by him on lease or mortgage, and of shares, and other investments, which may, from time to time be held or acquired by him or by his wife or by any member of his family living with, or in any way dependent upon him. Such declarations should state the full particulars of the property, shares and other investments.
- (4) The appropriate authority may, at any time, by general or special order, require a government servant to submit within a period specified in the order a full and complete statement of such movable immovable property held or acquired by him or by any member of his family as may be specified in the order. Such statement shall, if so required by the appropriate authority, include details of the means by which or the source from which such property was acquired.
- (5) The appropriate authority—
 - (a) in the case of a government servant belonging to the State service, shall for purposes of sub-rules (1) and (4), be the Government and for sub-rule (2), the Head of the Department,
 - (b) In the case of other government servants, for the purposes of sub-rules (1) to (4) shall be the Head of the Department.

23. **Vindication of acts and character of government servants-** No government servant shall except with the previous sanction of the Government, have recourse (E) to the press for the vindication of any official act which has been the subject-matter of adverse criticism or an attack of defamatory character.

Explanation—nothing in this rule shall be deemed to prohibit a government servant from vindicating his private character or any act done by him in private capacity.

24. **Canvassing of non-official or other outside influence** No—government servant shall bring or attempt to bring whether himself personally or through a member of his family, any political or other outside influence to bear upon any question relating to him interest in respect of matters pertaining to his service.

Explanation—Any act done by the wife or husband, as the case may be, or any member of the family of a government servant and falling within the purview of this rule, shall be presumed to have been done at the instance, or with the connivance of the government servant concerned, unless the contrary shall have been proved.

Illustration

A is a government servant and B a member of the family of A: C is a political party and D is an organization under G, B, gained sufficient prominence in G and become an office bearer of D. Through D, B started sponsoring the cause of A to the extent that B sponsored some resolutions against A's official superiors. This action which will be in violation of the provisions of the above rule on the part of B shall be presumed to have been done by B at the instance, or with connivance of A unless A is able to prove that this was not so.

- 24 A. "A. Representations by Government servants—No Government servant shall whether personally or through a member of his family, make any representation to Government or any other authority except through the proper channel and in accordance with such directions as the Government may issue from time to time. The Explanation to rule 24 shall apply to this rule also."
25. Unauthorized pecuniary arrangements—No government servant shall enter into any pecuniary arrangement with another government servant or any other person so as to afford any kind or advantage to either or both of them in any unauthorized manner or against the specific, or implied, provisions of any rule for the time being in force.

Illustration

- (1) A is a senior clerk in an office and is due for officiating promotion. A is diffident of discharging his duties satisfactorily in the officiating post. B, a junior clerk, privately offers for a pecuniary consideration to help A. A and B accordingly enter into pecuniary arrangements. Both would thereby infringe the rule.
- (2) If, A the Superintendent of an office proceeds on leave, B, the senior most assistant in the office, will be given a chance to officiate. If A proceeds on leave after entering into arrangement with B for a share in the officiating allowance A and B both would commit a breach of the rule.

26. **Bigamous marriages—**(1) No government servant who has a wife living shall contract another marriage without first obtaining the permission of the Government, notwithstanding that such subsequent marriage is permissible under the personal law for the time being applicable to him.

(2) No female government servant shall marry any person who has a wife living without first obtaining the permission of the Government.
27. **Proper use of amenities-** No government servant shall misuse or carelessly use, amenities provided for him by the Government to facilitate the discharge of his public duties.

Illustration

Among the amenities provided to government servant are cars, telephones, residences, furniture, orderlies, article of stationer, etc. Instances of misuse or careless use of these are—

- (i) Employment of government cars at government expense by members of the family of the government servant or his guests, or for other non-government work,
 - (ii) Making telephone trunk calls at Government expence on matters not connected with official work.
 - (iii) Neglect of Government residences and furniture and failure to maintain them properly, and
 - (iv) Use of government stationary for non-official work.
-
28. **Payment for purchases—**Unless payment by installments is customary, or specially provided, or a credit account is maintained with a bona fide tradesman, no government servant shall withhold prompt and full payment for the article purchased by him whether the purchases are made on tour or otherwise.
 29. **Use of services without payment—**No government servant shall without making proper and adequate payment, avail himself of any service or entertainment for which a hire or price or admission fee is charged.

Illustration

Unless specifically prescribed as part of duty, a government servant shall not—

- (i) Travel free of charge in any plying for hire.
 - (ii) See a cinema show without paying the admission fee.
30. Use conveyances belonging to other—No government servant shall, except in exceptional circumstances, use a conveyance belonging to a private person or government servant who is subordinate to him.
31. Purchases through subordinates—No government servant shall himself ask or permit his wife, or any other member of his family living with him to ask any government servant who is subordinate to him, to make purchases, locally or from outstation on behalf of him, his wife or other member of his family, whether on advance payment or otherwise:

Provided that this rule shall not apply to the purchases which the inferior staff attached to the government servant may be required to make.

Illustration

A is a deputy collector.

B is a tahsildar under the deputy collector.

A should not allow his wife to ask B to have cloth purchased for her.

32. Interpretation—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.
33. Repeal and saving—Any rules corresponding to these rules in force immediately before the commencement of these rules and applicable to government servant under the control of the Government of Uttaranchal are hereby repealed:

Provided that an order made or action taken under the rules repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By Order,
ALOK KUMAR JAIN,
Secretary.